42

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

संवेदक M/S VTS Projects Pvt. Ltd.(Regd. No-1200255), At-Flat No-101, Triveni Niwas Appartment, R. K. Avenue, Rajendra Nagar, Dist-Patna, Pin-800016 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अधीन अरवल जिलान्तर्गत कुर्था में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा में फायर फाईटिंग एवं फर्नीचर कार्य हेतु निविदा में में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में दो संवेदक यथा–**M/S VTS Projects Pvt. Ltd.** एवं **स्वराज्य कुमार शांडिल्य** द्वारा निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कराने के उपरांत पाया गया कि दोनों संवेदक द्वारा एक–दूसरे का अनुभव प्रमाण पत्र शपथ पत्र के माध्यम से अपलोड किया गया। अर्थात् संवेदक M/S VTS Projects Pvt. Ltd. द्वारा निविदा में स्वराज्य कुमार शांडिल्य का फायर फाईटिग एवं फर्नीचर कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र शपथ प्रमाण पत्र के माध्यम से समर्पित किया गया एवं संवेदक स्वराज्य कुमार शांडिल्य द्वारा उसी निविदा में संवेदक M/S VTS Projects Pvt. Ltd. का फायर फाइटिंग एवं फर्नीचर कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा सोची समझी साजिश के तहत संघ/समूह(Cartel) बना कर निविदा में भाग लिये जाने के कारण संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 11108(भ) अनु0 दिनांक 12.12.2025 द्वारा संवेदक **M/S VTS Projects Pvt. Ltd.** के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से किये गये कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताया गया है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि उक्त निविदा में संवेदक स्वराज्य कुमार शांडिल्य, शेखपुरा द्वारा भाग लिया गया है। साथ ही यह बताया गया कि उनके विरूद्ध Cartel का आरोप लगाना न्यायोचित नहीं हैं क्योंकि संवेदक स्वराज्य कुमार शांडिल्य को ये नहीं मालूम था कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र संवेदक M/S VTS Projects Pvt. Ltd. द्वारा उक्त निविदा में अपलोड किया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों संवेदक द्वारा निविदा में एक दूसरे का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करना संयोग नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग के अधीन अरवल जिलान्तर्गत कुर्था में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा में फायर फाईटिंग एवं फर्नीचर कार्य हेतु निविदा में सोची समझी साजिश के तहत संघ/समूह(Cartel) बना कर भाग लिये जाने के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के **कंडिका–11(क) की उपकंडिका (iv) एवं 11(ख)(i)** में निहित प्रावधान के तहत संवेदक M/S VTS Projects Pvt. Ltd.(Regd. No-1200255), At-Flat No-101, Triveni Niwas Appartment, R. K. Avenue, Rajendra Nagar, Dist-Patna, Pin-800016 को 02(दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

25/02/26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–330 / 2025 2739 / पटना, दिनांकः– 27.2.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–330 / 2025 2739 / पटना, दिनांकः– 27.2.26

निबंधित

प्रतिलिपिः–M/S VTS Projects Pvt. Ltd.(Regd. No-1200255), At-Flat No-101, Triveni Niwas Appartment, R. K. Avenue, Rajendra Nagar, Dist-Patna, Pin-800016को सूचनार्थ प्रेषित।

25.02.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–330 / 2025 2739 / पटना, दिनांकः– 27.2.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–330 / 2025 2739 / पटना, दिनांकः– 27.2.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.26

अभियंता प्रमुख